A.G.Para latter 2016-17

603

# राजस्थान सरकार
## सामान्य प्रशासन (ग्रुप–4) विभाग

क्रमांक प. 16 (3)सा.प्र/4/18 जयपुर, दिनांक: 08/05/18

1. आवासीय आयुक्त, बीकानेर हाउस, नई दिल्ली।
2. प्रबंधक, राजस्थान हाउस, नई दिल्ली।
3. प्रबंधक, जोधपुर हाउस, नई दिल्ली।
4. प्रबंधक, स्टेट गेस्ट हाउस, चाणक्यपुरी, नई दिल्ली
5. प्रबंधक, राज0 भवन, वाशी नवी मुम्बई।
6 समस्त प्रबंधक, विश्राम भवन, राजस्थान।

विषयः– अनुपयोगी/नकारा स्टोर्स निस्तारण अभियान के क्रम में जारी निर्देशों की अनुपालना बाबत।

संदर्भः– शासन सचिव, वित्त (बजट) के परिपत्र दिनांक 02.04.2018 तथा इस विभाग के समसंख्य पत्र दिनांकः 12/4/18 के क्रम में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयान्तर्गत संदर्भित पत्र के क्रम में स्मरण करवाया जाकर लेख है कि वित्त विभाग के आदेश दिनांकः 02/04/18 के क्रम में बेशी/अनुपयोगी/ अप्रचलित सामान का निस्तारण हेतु इस विभाग द्वारा जारी किये गये दिशा–निर्देशों (प्रतिसंलग्न) की अनुपालना में की गयी कार्यवाही को 10–05–2018 तक sr.aogad4@gmail.com की ई–मेल पर शीघ्रताशीघ्र भिजवाने की व्यवस्था सुनिश्चित करावें।

भवदीय,

(गौरव बजाड़)
**सयुंक्त शासन सचिव (ए)**

प्रतिलिपिः– शासन सचिव, वित्त बजट, (सामान्य वित्तीय एवं लेखा नियम अनुभाग), शासन सचिवालय, जयपुर।

**संयुक्त शासन सचिव (ए)**

## बेशी/अनुपयोगी/अप्रचलित सामान के वित्त विभाग के आदेश दिनांक 2.4.2018 के क्रम में सामान्य दिशा निर्देश

वित्त विभाग के उपरोक्त आदेश के क्रम में विभाग के अधीन विश्राम भवनों एवं अन्य भवनों के प्रबंधको को निर्देशित किया जाता है कि निम्नानुसार कार्यवाही करवाया जाना सुनिश्चित करें।

1. सामान्य वित्तीय एवं लेखा नियम खण्ड I भाग II के नियम 17 (i) के अनुसार एस.आर.फार्म में अनुपयोगी/अप्रचलित सामान की सूची तैयार की जाकर सामान के सर्वे हेतु कमेटी गठित किए जाने हेतु सक्षम प्राधिकारी को प्रेषित की जावे।

2. एस.आर.फार्म 5 में सूचना तैयार कर सर्वे कमेटी से GF&AR खण्ड I भाग II के नियम 21 (ii) के अनुसार सूची तैयार कर सर्वे कार्य पूर्ण किया जावे।

3. सर्वेक्षण कमेटी की रिपोर्ट अनुसार F1(4) FD/GF&AR/2006 के क्रम में जारी वित्त विभाग के आदेश दिनांक 6.8.15 के बिन्दु संख्या 11 के अनुसार अनुपयोगी/अप्रचलित सामान के व्ययन हेतु स्वीकृति प्राप्त की जावे।

4. वित्त विभाग के संदर्भित आदेशों के क्रम में व्ययन हेतु सक्षम स्तर से व्ययन समिति का गठन करवाया जाकर नियमानुसार व्ययन प्रक्रिया पूर्ण की जावे।

5. सामान्य प्रशासन विभाग के अधीन राज्य स्थित सभी विश्राम भवनों के लिए सर्वेक्षण कमेटी एवं व्ययन समिति का गठन संबंधित जिला कलक्टर द्वारा वित्त विभाग के संदर्भित आदेशों के क्रम में किया जावेगा।

6. बीकानेर हाउस, राजस्थान हाउस, जोधपुर हाउस, स्टेट गेस्ट हाउस चाणक्यपुरी, नई दिल्ली, राजस्थान भवन वाशी, नवीं मुम्बई, ट्रांजिट हॉस्टल, जयपुर विश्राम भवन जयपुर द्वारा सर्वेक्षण कमेटी एवं व्ययन कमेटी हेतु प्रस्ताव सामान्य प्रशासन ग्रुप–4 विभाग को प्रेषित किए जावें।

7. अन्य विभागाध्यक्ष नियमानुसार वित्त विभाग के संदर्भित आदेश की पालना करवाया जाना अपने स्तर पर सुनिश्चित करवायें। यदि नियमानुसार प्रशासनिक विभाग से किसी प्रकार की स्वीकृति की आवश्यकता हो तो नियमों का उल्लेख करते हुए प्रस्ताव प्रेषित करावें।

8. प्रशासनिक विभाग के अधीन समस्त विभागाध्यक्ष/कार्यालयाध्यक्ष वित्त विभाग के संदर्भित आदेश की पालना निम्नानुसार अंकित अवधि में पूर्ण करना सुनिश्चित करें।

| | |
|---|---|
| (1) SR-5 तैयार किया जाना | 25 अप्रेल 2018 |
| (2) सर्वेक्षण कमेटी का गठन | 30 अप्रेल 2018 |
| (3) सर्वेक्षण कमेटी द्वारा SR-6 में रिपोर्ट | 5 मई 2018 |
| (4) व्ययन समिति का गठन | 10 मई 2018 |
| (5) नीलामी की कार्यवाही सम्पादन कर नीलामी से प्राप्त आय राज्यकोष में जमा के प्रमाण सहित सूचना विभाग को प्रेषित करना | 30 अप्रेल 2018 |

9. उपरोक्त बिन्दुओं के साथ ही बेशी/अनुपयोगी/अप्रचलित सामान के निस्तारण हेतु राज्य सरकार द्वारा सुस्थापित नियमों एवं प्रक्रियाओं की पालना भी सुनिश्चित की जावें।